

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर


नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र मुरटाला गाला

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 स्वरूपसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर		1.उदयसिंह पुत्र लखसिंह, 2 जुगतसिंह पुत्र सबलसिंह 3 सवाईसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 4 तहसीलदार बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-60/2021 दिनांक-30.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पीथल पटवार क्षेत्र महाबार तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 1894/699 रकबा 2.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगड़ी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर
दिनांक- 30/10/2021


क्रमांक/रीडर/2021/ 6121-6125

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करे।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, नेखमबन्दी हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित है।
3. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
4. प्रार्थी स्वरूपसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी नेहरू नगर बाड़मेर तहसील एवं जिला बाड़मेर
5. विप्रार्थीगण उदयसिंह पुत्र लखसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर।

Received by me




उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर